कार्यालय नगरपालिका परिषद 'जल प्रकोष्ठ' गुना (म.प्र)

क्रमांक 210 गुना दिनांक 28/02/14

निविदा सूचना

--00--

निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य के लिये निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण विभागों में 'सी' क्लास या ऊपर श्रेणी में पंजीकृत एवं कार्य के अनुरूप अनुभवी ठेकेदारों से दिनांक 12/03/14 को दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन ठीक 03:30 बजे ठेकेदारों व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य जमा कराकर कार्यालयीन समय में दिनांक 10/03/14 को सांय 05:00 बजे तक या इससे पूर्व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्राप्त किये जा सकते है।

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा का मूल्य	कार्य की अवधि
	गुना नगरपालिका जल प्रकोष्ठ के अंतर्गत वाटर सप्लाई के आवश्यक कार्य ठेका पद्धति से कराने हेतु निम्नानुसार दरें आमंत्रित की जाती है।	10.00 लाख	50,000/-	2000/-	निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक
1	गुना नगर के पश्चिमी क्षेत्र में जोन वाईज पावर पंप संचालन कराकर व वाल्व आपरेट कर मोहल्लों में पेयजल सप्लाई कार्य सूची अनुसार (लेबर कार्य मात्र) प्रति जोन प्रतिमाह				
2	पाईप लाईन दुरूस्ती/हैडपंप दुरूस्ती/फायर हाईड्रेटों पर लेबर व्यवस्था का कार्य/अन्य आवश्यक कार्य (लेबर कार्य मात्र) प्रतिमाह/इकाई कार्य संपूर्ण कार्य सूची अनुसार एवं अतिरिक्त लेबर।				

नोट :- निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

(पी.एस.बुंदेला)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद(जल प्रकोष्ठ) गुना (म.प्र.)

त्रिवेणी
श्रीमति त्रिवेणी सोनी
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,गुना (म.प्र.)

निविदा की शर्तें एवं नियम (अन्य)–

1. कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा।
2. शर्तों वाली, अपूर्ण एवं अस्पष्ट निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने के लिये 100/– अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
4. दर्शाई गई मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
5. कार्य निर्धारित समय सीमा में करना होगा तथा कार्य समय सीमा में न होने की स्थिति में त्वरित आपूर्ति हेतु स्वीकृत दर पर किसी अन्य एजेंसी से कराया जा सकता है।
6. ठेकेदार के संस्थान का स्थायी पता/आयकर नंबर होना आवश्यक है।
7. सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा निरस्त की जा सकती है।
8. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाना संभव होगा तथा किसी भी प्रकार का ब्याज आदि भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. दरें समस्त प्रकार के करों सहित एवं एफ.ओ.आर. जल प्रकोष्ठ कार्यालय गुना के लिये देय होगी।
10. किसी भी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र गुना होगा।
11. कार्य के दौरान किसी घटना, दुर्घटना, क्षति एवं हानि के लिये निविदाकार स्वंय उत्तरदायी होगा, विभाग नहीं।
12. कार्य संतोषजनक न होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. टेक्स की कटौती (टीडीएस) शासन नियमानुसार दी जावेगी।
14. संक्षिप्त निविदा अनुबंध का एक भाग होगी तथा अनुबंध 100/– रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टांप पेपर पर करना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा संचालन कार्य पर लगाये गये श्रमिकों/लेबर आदि का मानदेय ठेकेदार द्वारा स्वंय भुगतान किया जायेगा, विभाग द्वारा नहीं।
16. आवश्यकतानुसार प्रति कार्य इकाई के हिसाब से कराये गये कार्यों के देयकों का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार विभाग द्वारा किया जावेगा।
17. संचालन कार्य जोन के अंतर्गत शासकीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
18. संचालन के दौरान संयंत्रों की खराबी आदि की सूचना त्वरित रूप से विभागीय अधिकारी को दी जाकर विद्युत गड़बड़ी को दुरूस्ती कराकर वाटर सप्लाई यथाशीघ्र चालू करानी होगी।
19. संबंधित जोन के अंतर्गत जलप्रदाय लाईनों से अवैध कनेक्शन रोकथाम की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ड्यूज वसूली में सहयोग अपेक्षित होगा।
20. समस्त कार्य विभागीय निर्देशों के अधीन करना होगा। निर्देशों की अवहेलना आदि की दशा में ठेका त्वरित रूप से निरस्त कर दिया जावेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी जिसका हर्जे खर्चे के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

(पी.एस.बुंदेला)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद(जल प्रकोष्ठ) गुना (म.प्र.)

त्रिवेणी
(श्रीमति त्रिवेणी सोनी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,गुना (म.प्र.)